न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 20/2021

वादीगण

1. सोना
2. जेठा पिसरान मनरूपाजी
3. सुरेश
4. करणा
5. डाया पिसरान गणेशाजी
6. मथरादेवी पत्नि गणेशाजी जातियान सुथार साकिनान जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर (राज.)

प्रतिवादीगण

1. मोतीलाल
2. जवानाराम पिसरान सोनाजी
3. नाहरसिंह पुत्र वनेसिंहजी
4. धर्मकंवर पत्नि भीमसिंहजी
5. मूलसिंह
6. शेरसिंह पिसरान खंगारसिंहजी
7. भूपेन्द्रसिंह
8. महिपालसिंह पि. कालूसिंहजी
9. शोभागकंवर
10. रिंकूकंवर
11. नरेन्द्रकंवर पुत्रीयान कालूसिंहजी
12. असतकंवर पत्नि कालूसिंहजी
13. पदमसिंह पुत्र रावतसिंहजी तमाम जातियान राजपूत
14. मीरा पत्नि रूपाजी
15. परखा
16. दोला
17. रगा
18. हिन्दू पिसरान रूपाजी
19. झेमा
20. मफी पुत्रीयान रूपाजी
21. मकना पुत्र प्रेमाजी
22. ओखी
23. सीता
24. भमरी पुत्रीयान सोमारामजी
25. समुदेवी पत्नि सोमारामजी
26. मुकेशकुमार
27. अशोककुमार पि. सोमारामजी
28. केवा पुत्र उमाजी
29. नारणा पुत्र केवाजी तमाम जातियान कलबी सकिनान जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर
30. बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक
31. बैंक ऑफ इंडिया शाखा जाखडी जरिये प्रबन्धक
32. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 श्री श्रवणसिंह देवड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:59 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनांक 24.01.2022

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, बाबत् बंटवाडा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा यह कि सरहद मौजा जाखडी तहसील रानीवाडा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 29 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नबंर 1000 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1001 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 1002 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नबंर 1005 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 1006 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नबंर 1016 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नबंर 1018 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नबंर 999 रकबा 0.02 हैक्टर जुमले रकबा 2.87 हैक्टर आई हुई है। उक्त आराजी में वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा तथा वादी संख्या 3 से 6 का प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/20 व 5 से 6 का प्रत्येक का 1/40–1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का प्रत्येक का 1/240–1/240 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 से 20 का प्रत्येक का 1/160–1/160 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 से 27 का प्रत्येक का 43/2880–43/2880 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 28 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 29 का 1/12 हिस्सा सामलाती खातेदारी का है। इस प्रकार उक्त आराजी में वादीगण का उक्त आराजी में 1/5 हिस्सा सामलाती खातेदारी का है। मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 29 अपने–अपने हिस्से माफिक अलग–अलग काबिज है, परन्तु उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 29 को कई बार आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु कहा, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 29 ने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से आना–कानी की। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 29 के सामलाती कब्जा काश्त की है। इसलिये उक्त आराजी को विकसित करने में व उपजाउ बनाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 29 की सामलाती खातेदारी की होने से वादीगण उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करवा कर उक्त आराजी में से 1/5 हिस्सा अलग बंटवाडा में प्राप्त करने के अधिकारी है। जिस हेतु यह दावा पेश है।
2. यह कि विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 29 को कई बार उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का कहा परन्तु वे आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाने में आना कानी करते रहे। तत्पचात उस समय पैदा हुआ जब दिनांक 2.2.2021 को वादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 29 को कहा तो उन्होंने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से मना कर दिया। तत्पचात वाद कारण निरन्तर जारी है।
3. वादीगण इस्तदुआ है कि सरहद मौजा जाखडी तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 1000 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नबंर 1001 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 1002 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नबंर 1005 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नबंर 1006 रकबा 0.97 हैक्टर, खसरा नबंर 1016 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नबंर 1018 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नबंर 999 रकबा 0.02 हैक्टर जुमले रकबा 2.87 है[illegible] खातेदारी हिस्सा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 29 के बीच [illegible] के आधार पर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बंटवाडा किया जाकर उक्त [illegible] में से वादीगण को 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 29 [illegible] माफिक अलग–अलग बंट में दिया जावें

Signature Not Verified
Digitally Signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:59 IST
Reason: SelfAttested

तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी की जावें।

4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 2 से 13, 15 से 31 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी संख्या 32 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित।

5. दिनांक 05.10.2021 को न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादी अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा जाखडी के खसरा नम्बर 1000, 1001, 1002, 1005, 1006, 1016, 1018, 999 रकबा क्रमश 0.01, 0.03, 0.60, 0.03, 0.97, 0.43, 0.78, 0.02 हेक्टेयर कुल रकबा 2.87 हेक्टेयर आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 29 के बीच रास्ते की सुविधा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/753 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2021/1157 दिनांक 01.12.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

6. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ताओ को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 29 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	सोनाराम पुत्र मनरूपाराम हिस्सा 1/3, जेठाराम पुत्र मनरूपाराम हिस्सा 1/3, करणाराम पुत्र गणेशाराम हिस्सा 1/12, मथरादेवी पत्नि गणेशाराम हिस्सा 1/12, डायाराम पुत्र गणेशाराम हिस्सा 1/12, सुरेश कुमार पुत्र गणेशाराम हिस्सा 1/12 कौम सुथार सा. देह खातेदार	1000	0.01	0.01	गै.मू. बेरा	नीला	–
		1001	0.03	0.03	गै.मू. सड़ा		–
		1002	0.60	0.5344	चा.उ.		24. 5824
2.	मोतीलाल पुत्र सोनाराम जाति घांची सा. देह खातेदार बी.ओ.आई शाखा जाखडी	1005	0.03	0.01	गै.मू. सडा	भूरा	–
		1006	0[illegible]	0.2270	चा.सो.		4.54

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:59 IST
Reason: SelfAttested

				0.05	जा.सो.		0.30
3.	अशोक कूमार पुत्र सोमाराम हिस्सा 214/10043, ओखी पुत्री सोमाराम हिस्सा 214/10043, भमरी पुत्री सोमाराम हिस्सा 214/10043, मूकेश कूमार पुत्र सोमाराम हिस्सा 214/10043, समूदेवी पत्नि सोमाराम हिस्सा 214/10043, सीता पुत्री सोमाराम हिस्सा 214/10043, जातियान कलबी, असतकंवर पत्नी कालूसिंह हिस्सा 60/10043, नरेन्द्रकंवर पुत्री कालूसिंह 60/10043, भूपेन्द्रसिंह पुत्र कालूसिंह 60/10043, महिपालसिंह पुत्र कालूसिंह हिस्सा 60/10043, रिकू कंवर पुत्री कालूसिंह हिस्सा 60/10043, शोभागकंवर पुत्री कालूसिंह हिस्सा 60/10043, जातियान राजपूत , झेमा पुत्री रूपा हिस्सा 179/20086, दौलाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 179/20086, परखाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 179/20086, मफी पुत्री रूपाराम हिस्सा 179/20086, मीरा पत्नी रूपाराम हिस्सा 179/20086, रगाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 179/20086, हिन्दूराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 179/20086, केवा पुत्र उमाराम हिस्सा 1435/20086 रहन BOI शाखा रानीवाडा, नारणाराम पुत्र केवाराम हिस्सा 2391/20086, मकनाराम पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 174/913 जातियान कलबी , जवानाराम पुत्र सोनाराम हिस्सा 1435/10043 जाति घांची, धर्मकंवर पत्नी भीमसिंह हिस्सा 1435/20086, नाहरसिंह पुत्र वनेसिंह हिस्सा 717/20086, पदमसिंह पुत्र रावतसिंह हिस्सा 1435/20086 , मूलसिंह पुत्र खंगारसिंह हिस्सा 717/20086 ,शेरसिंह पुत्र खगारसिंह 717/20086 जातियान राजपूत सा.देह खातेदार	999	0.02	0.02	गै.मू. रास्ता	बैंगनी	—
		1002	0.60	0.0656	चा.उ.		3.0176
		1005	0.03	0.02	गै.मू. सडा		—
		1006	0.97	0.6930	चा.सो.		—
		1016	0.43	0.43	बा.प्र.		1.72
		1018	0.78	0.66	चा.उ.		30.36
				0.12	जा.उ.		1.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:59 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 29 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडाजिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.1.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सोना 2. जेठा पिसरान मनरूपाजी 3. सुरेश 4. करणा 5. डाया पिसरान गणेशाजी 6. मथरादेवी पत्नि गणेशाजी जातियान सुथार साकिनान जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर (राज.)	**बनाम**	1. मोतीलाल 2. जवानाराम पिसरान सोनाजी 3. नाहरसिंह पुत्र वनेसिंहजी 4. धर्मकंवर पत्नि भीमसिंहजी 5. मूलसिंह 6. शेरसिंह पिसरान खंगारसिंहजी 7. भूपेन्द्रसिंह 8. महिपालसिंह पि. कालूसिंहजी 9. शोभागकंवर 10. रिंकूकंवर 11. नरेन्द्रकंवर पुत्रीयान कालूसिंहजी 12. असतकंवर पत्नि कालूसिंहजी 13. पदमसिंह पुत्र रावतसिंहजी तमाम जातियान राजपूत 14. मीरा पत्नि रूपाजी 15. परखा 16. दोला 17. रगा 18. हिन्दू पिसरान रूपाजी 19. झेमा 20. मफी पुत्रीयान रूपाजी 21. मकना पुत्र प्रेमाजी 22. ओखी 23. सीता 24. भमरी पुत्रीयान सोमारामजी 25. समुदेवी पत्नि सोमारामजी 26. मुकेशकुमार 27. अशोककुमार पि. सोमारामजी 28. केवा पुत्र उमाजी 29. नारणा पुत्र केवाजी तमाम जातियान कलबी सकिनान जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालोर 30. बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा जरिये प्रबन्धक 31. बैंक ऑफ इंडिया शाखा जाखडी जरिये प्रबन्धक 32. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 20/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित, प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री श्रवणसिह देवडा उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2 से 13 व 15 से 31 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि [illegible]र रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी [illegible] के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:59 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्ट0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	सोनाराम पुत्र मनरूपाराम हिस्सा 1/3, जेठाराम पुत्र मनरूपाराम हिस्सा 1/3, करणाराम पुत्र गणेशाराम हिस्सा 1/12, मथरादेवी पत्नि गणेशाराम हिस्सा 1/12, डायाराम पुत्र गणेशाराम हिस्सा 1/12, सुरेश कुमार पुत्र गणेशाराम हिस्सा 1/12 कौम सुथार सा. देह खातेदार	1000	0.01	0.01	गै.मू. बेरा	नीला	—
		1001	0.03	0.03	गै.मू. सड़ा		—
		1002	0.60	0.5344	चा.उ.		24.5824
2.	मोतीलाल पुत्र सोनाराम जाति घांची सा. देह खातेदार रहन बी.ओ.आई शाखा जाखडी	1005	0.03	0.01	गै.मू. सडा	भूरा	—
		1006	0.97	0.2270	चा.सो.		4.54
				0.05	जा.सो.		0.30
3.	अशोक कूमार पुत्र सोमाराम हिस्सा 214/10043, ओखी पुत्री सोमाराम हिस्सा 214/10043, भमरी पुत्री सोमाराम हिस्सा 214/10043, मूकेश कूमार पुत्र सोमाराम हिस्सा 214/10043, समूदेवी पत्नि सोमाराम हिस्सा 214/10043, सीता पुत्री सोमाराम हिस्सा 214/10043, जातियान कलबी, असतकंवर पत्नी कालूसिंह हिस्सा 60/10043, नरेन्द्रकंवर पुत्री कालूसिंह 60/10043, भूपेन्द्रसिंह पुत्र कालूसिंह 60/10043, महिपालसिंह पुत्र कालूसिंह हिस्सा 60/10043, रिकू कंवर पुत्री कालूसिंह हिस्सा 60/10043, शोभागकंवर पुत्री कालूसिंह हिस्सा 60/10043, जातियान राजपूत , झेमा पुत्री रूपा हिस्सा 179/20086, दौलाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 179/20086, परखाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 179/20086, मफी पुत्री रूपाराम हिस्सा 179/20086, मीरा पत्नी रूपाराम हिस्सा 179/20086, रगाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 179/20086, हिन्दूराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 179/20086, केवा पुत्र उमाराम हिस्सा 1435/20086 रहन BOI शाखा रानीवाडा, नारणाराम पुत्र केवाराम हिस्सा 2391/20086, मकनाराम पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 174/913 जातियान कलबी , जवानाराम पुत्र सोनाराम हिस्सा 1435/10043 जाति घांची, धर्मकंवर पत्नी भीमसिंह हिस्सा 1435/20086, नाहरसिंह पुत्र वनेसिंह हिस्सा 717/20086, पदमसिंह पुत्र रावतसिंह हिस्सा 1435/20086 , मूलसिंह पुत्र खंगारसिंह हिस्सा 717/20086 ,शेरसिंह पुत्र खगारसिंह 717/20086 जातियान राजपूत सा.देह खातेदार	999	0.02	0.02	गै.मू. रास्ता	बैंगनी	—
		1002	0.60	0.0656	चा.उ.		3.0176
		1005	0.03	0.02	गै.मू. सडा		—
		1006	0.97	0.6930	चा.सो.		—
		1016	0.43	0.43	बा.प्र.		1.72
		1018	0.78	0.12	चा.उ		30.36
				0.66	जा.उ..		1.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:59 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 29 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयो नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24.01.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला—जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	1	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	2	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:59 IST
Reason: SelfAttested